न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 466/16
निर्णय दिनांकः 22.03.18

1. सीताराम पुत्र गोपाल जाति जाट नि0 महरियो का बास पचार तह0 जयपुर जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. दीनमोहम्मद
2. इमामबक्ष
3. निजामुदीन
   समस्त रहीमबक्ष जाति मुसलमान नि0 बड़ी मजिस्द के पास जालूपुरा जयपुर
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 124 की आराजीयात खं0नं0 927 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा वाकै ग्राम फुलेरा प0ह0 फुलेरा भू0अ0नि0क्षे0 फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात थी जिसकी जमाबन्दी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने दिनांक 08.10.14 को पटवारी हल्का फुलेरा से प्राप्त कर उंक्त आराजीयात वादी को जरिये विक्रय विलेख दिनांक 09.10.14 के द्वारा विक्रय कर दी जिसका विक्रय विलेख प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 ने उप पंजीयक अधिकारी महोदय सांभर लेक के यहा दिनांक 09.10.14 को वादी के हक में सम्पादित कराकर पंजीयन करा दिया जो उप पंजीयक अधिकारी महोदय सांभर के यहा पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 498 में पृष्ट सं0 107 के क्रम सं0 2014008244 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 806 के पृष्ठ सं. 74 पर चस्पा किया गया तथा कब्जा मौके पर भौतिक व वास्तविक रूप से वादी को आराजीयात का संम्भला दिया था। वादी उक्त विक्रय विलेख प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 से अपने हक में

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

सम्पादित कराकर पंजीयन कराने के पश्चात् असल विक्रय विलेख व विक्रय विलेख की प्रति पटवारी हल्का के पास ले जाकर दिया तो पटवारी हल्का ने असल विक्रय विलेख से मिलान कर विक्रय विलेख की प्रति रखकर नामान्तकरण वादी के हक में भरकर खातेदारी खोलने का आश्वासन दे दिया। पटवारी हल्का को उक्त विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तकरण खोलने के लिये विक्रय विलेख की प्रति दिये जाने के पश्चात् वादी अपनी खरीद शुदा आराजीयात की खातेदारी होने बाबत् जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने वादी को कहा कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में कस्टोडियन लिखी हुयी है इसलिए उक्त आराजीयात का नामान्तकरण नहीं खुल सकता है के पश्चात् वादी प्रतिवादी सं0 4 को आवेदन पत्र मय विक्रय विलेख की प्रति लगाकर दिनांक 19.07.16 को प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं0 4 ने अपने आदेश क्रंमाक एल0आर/161–2975 दिनांक 27.07.16 को पटवारी हल्का फुलेरा को पंजीबद्व दस्तावेज के रिकोर्ड से जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश करने बाबत् लिखा जिसका दस्ती आदेश वादी पटवारी हल्का फुलेरा को ले जाकर दिया तो पूर्व की भांति जमाबन्दी में कस्टोडियन होने बाबत कहकर नामान्तकरण विक्रय विलेख के आधार पर खोलकर जमाबन्दी देने से इंकार हो गया के पश्चात् वादी अपनी खरीदशुदा आराजी खं0नं0 927 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा के संबंध में पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 से 2029 की व संवत् 2011 के पश्चात् से 2068–71 तक कभी भी कही भी कस्टोडियन नहीं रही है व संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी बनी उसमें कस्टोडियन पेन्सील से अंकित कर दी बल्कि उक्त आराजीयात पर्चा सेटलमेन्ट 2011 से 2029 अथवा इससे पूर्व की किसी मिसल बन्दोबस्त मोजा फुलेरा में कभी कस्टोडियन नहीं रही है। बिना किसी वैधानिक अधिकार के व बिना किसी सक्षम न्यायालय/ अधिकारी के आदेश के उक्त वादी की खरीदशुदा आराजीयात संवत् 2072–75 में कस्टोडियन पेन्सिल से अंकित कर दी जिससे वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित रह गया व वादी के अधिकारों का हनन होता है। जो पूर्णत्या गलत है। वादी की उक्त खरीदशुदा आराजीयात कस्टोडियन अंकित रहने से वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित रह जावेगा उक्त गलत इन्द्राज रहने से वादी के अधिकारों का हनन होता है जो

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

काबिलें दुरूस्तनीय है इसलिए वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्व प्रतिवादी प्रस्तुत करना लाजिम हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 4 की ओर से राज पेरोकार उपस्थित है तथा प्रतिवादी सं0 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया कि संलग्न जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का फुलेरा दिनांक 03.03.17में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलेरा के नामान्तकरण सं0 213 के मध्य नजर उन्हें इस भूमि के सम्बन्ध में संशय होना जाहिर किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.14 में विक्रतागण की आयु को लेकर पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में संशय होना उल्लेखित किया है तथा ग्राम फुलेरा का खं0नं0 927 व 610 के अन्तरण में इस वाद में उल्लेखित प्रतिवादीगण एक समान होते हुये भी उनके द्वारा अन्तरण किये जाने के तरीके को लेकर संशय प्रकट किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की अखबार साया से तलबी करवायी गयी। अखबार साया की तलबी करवाने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 उपस्थित न होने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी ने वादी सीताराम के शपथ पेश किये तथा वादी के बयान लेखबद्व करवाये गये। प्रतिवादी सं0 4 तहसीलदार फुलेरा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में आदेश दिया गया कि उक्त भूमि कस्टोडियन में अधिसूचित है अथवा नहीं यदि अधिसूचित है तो गजट नोटिफिकेशन की प्रति पेश करे जिस पर तहसीलदार फुलेरा के पत्रांक 1069 दिनांक 12.03.18 से रिपोर्ट प्राप्त शुदा शामिल पत्रावली किया गया जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम फुलेरा के खं0नं0 927 रकबा 5 बीघा 5 विस्वा की भूमि सेटलमेन्ट खतौनी संवत् 2011 के खाता सं0 160 पर दीन मोहम्मद, इमामबक्स, निजामुदीन पि0 रहीमबख्श कौम मुसलमान सा0देह0 के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी रिकोर्ड के अनुसार यह भूमि आदिनांक तक इनके नाम खातेदारी में दर्ज रही है उक्त भूमि कस्टोडियन की होने के सम्बन्ध में इस कार्यालय में कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है तथा कस्टोडियन के गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी उपलब्ध नहीं है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति खं0नं0 927 की नकल पर्चा सेटलमेन्ट सं0 2011 से 2029 व 2011 से 2055, 2068 से 2071, नकल

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 खं0नं0 927 ग्राम फुलेरा में बिना कोई आदेश के कस्टोडियन अंकित कर दी, आई0डी0 विक्रेतागण दीनमोहम्मद, इमामबक्ष, निजामुदीन, प्रार्थना पत्र मय आदेश तहसीलदार क्रंमाक एल0आर0 161–2975 दिनांक 27.07.16, असल विक्रय विलेख दिनांक 09.10.14 पेश की है।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि न्यायहित में मुताबिक राजस्व रेकार्ड जागीरकाल व पर्चा सेटलमेन्ट 2011 से 2068 व तहसीलदार साहब फुलेरा के जवाब एवं इस बाबत विधानसभा प्रश्न संख्या 1370 के प्रत्युत्तर अनुसार ग्राम फुलेरा में कोई कस्टोडियन भूमि होना अवगत नहीं कराया है व दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जावें। जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खतौनी सं0 124 की आराजी खं0नं0 927 रकबा 5 बीधा 5 विस्वा वाकै ग्राम फुलेरा के जमाबन्दी संवत् 2068–71 व उसके पश्चात् बनी जमाबन्दी संवत् 2072–75 के कॉलम सं0 12 में सहवन से कस्टोडियन पेन्सिल से लिख दिया को हजफ किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 09.10.2014 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

मुकाम सांभर लेक

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

सीताराम बनाम दीनमोहम्मद वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 466/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सलमा सुल्ताना रंगरेज व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खतौनी सं0 124 की आराजी खं0नं0 927 रकबा 5 बीधा 5 विस्वा वाकै ग्राम फुलेरा के जमाबन्दी संवत् 2068–71 व उसके पश्चात् बनी जमाबन्दी संवत् 2072–75 के कॉलम सं0 12 में सहवन से कस्टोडियन पेन्सिल से लिख दिया को हजफ किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 09.10.2014 के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। .... खर्चा इस निज .... मुबलिग.................................... बाबत्.............................. मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 03 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत............... उपखण्ड अधिकारी साँभर लेक

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner